पत्रावली पेश हुई. वकील अपीलार्थी उपस्थित वकील अपीलार्थी को बहस करनी चाहि। वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 12.3.20 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई. वकील अपीलार्थी उपस्थित वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस के दौरान बताया कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में स्थित आराजी नं. 826 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नं. 827 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो खातेदार श्री गोकल पिता श्री नन्दा बलाई के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी उक्त आराजियात मे गोकल बलाई का 1/4 हक हिस्सा निहित था तथा आराजी नं. 861 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा जिसमे गोकल बलाई का 1/4 हक हिस्सा दर्ज था को गोकल पिता नन्दा बलाई ने अपीलार्थी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.7.2001 को विक्रय कर बेची गई, उक्त आराजियात का कब्जा भी अपीलार्थी को सिपुर्द कर दिया गया विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने के समय टंकण त्रुटि के कारण विक्रेता श्री गोकल पिता नन्दा खटीक अंकित कर दी गई जिसे पुन: पंजियन के समय ही दुरुस्त कर जाति को पुन: बलाई अंकित कर पंजीयन कराया गया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवार हल्का पीथास द्वारा नामान्तरण के 2051 द्वारा खोला गया तथा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच रिपोर्ट की जाकर नामान्तरण को स्वीकृत हेतु ग्राम पंचायत पीथास को भेजा गया परन्तु ग्राम पंचायत पीथास द्वारा अस्वीकृत कर दिया कि नामान्तरण संख्या 2051 मे विक्रेता का नाम रजिस्ट्री के विपरीत है अत: नामान्तरण संख्या 2051

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

खारीज किया जाता है कि उक्त आदेश विधि के विपरीत है क्यो कि रजिस्ट्री विक्रय पत्र मे विक्रेता का नाम बिल्कुल सही है व जाति टंकन त्रुटि से बलाई के बजाय खटीक अंकित थी जिसे भी वक्त रजिस्ट्री के समय ही दुरुस्त किया था जिसके बाद ही जानकारी हुई थी तथा पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी पूर्व जांच करने के उपरान्त ही नामान्तरण खोला था ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत पीथास का आदेश विधि विरुद्ध होकर खारीज किया जाकर नामान्तरण सं. 2051 को स्वीकृत कर गोकल बलाई के बजाय केता का नाम अंकित किये जाने की इस्तदुआ की। अत: बहस के दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विक्रेता गोकल बलाई का निधन हो चुका है तथा वर्तमान मे खाता विरासत से उसके वारिसान के नाम पर दर्ज हो चुका है जिसे भी खारीज फरमाया जाकर नामान्तरण संख्या 2051 को स्वीकृत किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज का अध्ययन किया एंव विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जिससे यह जाहिर आया कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 826 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा एंव आराजी नं. 827 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि गोकल पिता भेदा बलाई के नाम 1/4 हक हिस्से से राजस्व रेकार्ड मे संवत 2055 से 2058 की जमाबंदी मे दर्ज रेकार्ड थी तथा गोकल बलाई ने अपीलार्थी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे अपना हक हिस्सा दिनांक 25-07-2001 को विक्रय कर कब्जा सपुर्द कर दिया परन्तु विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने के समय टंकन त्रुटि से विक्रय पत्र मे विक्रेता गोकल पिता भेदा बलाई के स्थान पर विक्रेता की जाति बलाई की जगह खटीक अंकित कर दी गई जिसे उसी समय दुरुस्त किया जाकर पुनः

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

खटीक की जगह बलाई अंकित कर उसका पंजीयन किया गया था। एवं इसी विक्रय पत्र के आधार पर पटवार हल्का पटवारी पीथास द्वारा नामान्तरण संख्या २०५१ खोला जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक पीथास द्वारा भी उक्त नामान्तरण का अवलोकन किया गया एवं उक्त नामान्तरण को सही होना माना व उक्त नामान्तरण को स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत पीथास मे प्रस्तुत किया गया परन्तु ग्राम पंचायत पीथास द्वारा बिना किसी उचित आधार के विधि से परे जाकर केवल मात्र विक्रेता का नाम विपरीत होना अंकित कर उक्त नामान्तरण को खारीज किया गया जब कि विक्रेता का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र मे पंजीयन से पूर्व ही दुरुस्त किया जा चुका था तथा विक्रयसुदा भूमि की प्रतिफल राशि भी विक्रेता द्वारा प्राप्त कर विक्रयसुदा भूमि भी अपीलार्थी को सिपुर्द कर दी थी। ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत पीथास को उक्त नामान्तरण सं. 2051 को खारीज किये जाने का कोई अधिकार नही था। उक्त नामान्तरण को ग्राम पंचायत पीथास द्वारा खारीज करने के पश्चात गोफल बलाई की मत्यु हो जाने से उसके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन हुआ है जो गलत व अवैध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी अपनी अपील सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत:

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत पीथास तहसील माण्डल द्वारा नामान्तरण संख्या २०५१ बाबत् आदेश दिनांक 20-07-2012 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल्स जज
	को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 826 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नं. 827 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा एंव आराजी नं. 861 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे 1/4 हक हिस्सा जो विक्रेता श्री गोकल पिता नन्दा बलाई के वारिसान के नाम विरासत से दर्ज किया है जिसे विलोपित किया जाकर अपीलार्थी के नाम पर विक्रय पत्र दिनांक 25-07-2001 के आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 2041 को स्वीकृत कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे 1/4 हक हिस्से से दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.08.17 15:44:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: